कार्यकारी सार

1. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व साझेदारी का प्रारूप (मॉडल)

नई दूरसंचार नीति (एन टी पी-99) जो कि अप्रैल 1999 से प्रभाव में आई ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व हिस्सेदारी मॉडल की शुरूआत की। इस पद्धति में दूरसंचार लाइसेंसधारियों को अपने समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के कुछ प्रतिशत को वार्षिक लाइसेंस फीस (एल एफ) के रूप में सरकार के साथ साझा करना होता था। इस के साथ ही मोबाइल टेलीफोन आपरेटरों को उनको आंवटित रेडियो फ्रीक्वैंसी स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभारों (एस यू सी) का भी भुगतान करना होता था। दूरसंचार विभाग और सेवा प्रदाताओं के बीच लाइसेंस अनुबंध ने लाइसेन्स कम्पनी के जी आर के सभी तत्वों को परिभाषित किया तथा ए जी आर की गणना लाइसेंस अनुबन्धों में उल्लेखित निश्चित कटौतियों की स्वीकृति के उपरान्त की जानी थी। सरकार को देय राजस्व हिस्सेदारी के आकलन के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 224 के अंतर्गत नियुक्त उनके लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित सेवा प्रदाताओं के वार्षिक लेखाओं पर भरोसा किया गया।

2. निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किए गए राजस्व साझेदारी की सत्यता पर नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा लेखापरीक्षा

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) द्वारा लाइसेंस फीस एवं एस यू सी के रूप में भारत सरकार के साथ साझा किया गया राजस्व, भारत की समेकित निधि का एक भाग होता है। नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियॉ और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 के धारा 16 में यह अनिवार्य किया गया है कि नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक स्वयं को संतुष्ट करें कि भारत सरकार ने अपनी पूर्ण एवं सही साझेदारी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, सरकार के द्वारा नवम्बर 2002 में प्रचालित भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का संधारण) नियम, 2002 में भारत के सी ए जी द्वारा सेवा प्रदाताओं द्वारा संधारित समस्त लेखा अभिलेखों तथा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु समर्थकारी प्रावधान निहित हैं। वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा किए गए राजस्व की एक रिपोर्ट मार्च 2016 में सी ए जी ने संसद के समक्ष प्रस्तुत की और वह रिपोर्ट वर्तमान में लोक लेखा समिति के विचाराधीन है। वर्तमान प्रतिवेदन छः ऑपरेटरों के लेखा अभिलेखों के सत्यापन के बाद सामने आए लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रस्तुत करता है जिनमें से पांच पहले चरण में शामिल किए गए थे। प्रतिवेदन में शामिल नये आपरेटरों को छोड़कर पुराने आपरेटरों का आवृत क्षेत्र 2010-11 से 2014-15 के लेखा वर्षों का था तथा नए आपरेटरों का समाहित क्षेत्र वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिये था।

3. प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन में सात अध्याय एवं परिशिष्ट हैं। अध्याय I दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) में लाइसेंस फीस एवं एस यू सी को संग्रहित करने की व्यवस्था एवं उनका अन्तिम निर्धारण तथा राजस्व साझेदारी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के विहंगावलोकन को प्रस्तुत करता है। यह लेखापरीक्षा क्षेत्र एंव

कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डालता है। ऑपरेटरों के क्रमानुसार लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय II से VII में दिये गये है।

4. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

(i) सभी पी एस पी द्वारा अपने वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेंचाईजियों को भुगतान किए गए कमीशन/रियायत की राशि को शामिल न करके जी आर/ए जी आर को कम करके बताया जाना

निजी दूरसंचार प्रदाता अपने प्रीपेड उत्पादों को बेचने एवं ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेचाईजियों इत्यादि की नियुक्ति करते हैं तथा उनको कमीशन/रियायतों आदि का भुगतान करते हैं। सभी निजी सेवा प्रदाताओं ने, जिनके लेंखाओं का सत्यापन किया गया, वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेचाजियों को भुगतान किए गए कमीशन/रियायत आदि की राशि को शामिल न करके जी आर/ए जी आर को कम किया है। तथापि अलग–अलग दूरसंचार प्रदाताओं ने इन सभी लेन–देन को विभिन्न तरीकों से लेखा में शामिल किया है। जबकि एयरटेल, वोडाफोन एंव एस एस टी एल ने कमीशन/रियायत इत्यादि की राशि को राजस्व में नामें प्रविष्टि (डेबिट एंट्री) के रूप में बुक किया है, वहीं रिलायंस, आईडिया एवं एयरसेल ने रियायतों/कमीशन को छोड़ने (नेटिंग आफ) के बाद राजस्व को बुक किया है।

जी आर/ए जी आर की रिपोर्टिंग हेतु राजस्व को छोड़ देना (नेटिंग आफ) अथवा कम कर देना लाइसेंस समझौते में वर्णित शर्तों के अनुरूप नहीं हैं क्योकि वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेचाजियों को भुगतान किया गया कमीशन/रियायत व्यापार व्यय प्रकृति के (विपणन व्यय) थे। लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व से छोड़ी गयी (नेटिंग आफ) रियायत/कमीशन की निकाली गई राशि की गणना ₹ 16862.22 करोड़ की गई है, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 1394.89 करोड़ एवं ₹ 842.05 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.1(अ), 3.2.1(अ), 4.2.1 (अ), 5.3.2, 6.2.1, 7.2.1)

(ii) सभी पी एस पी द्वारा फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम जैसी प्रोमोशनल योजनाओं की राशि से जी आर/ए जी आर को कम करके बताया जाना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निजी सेवा प्रदाता अपने प्रीपेड ग्राहकों को विभिन्न अवसरों पर फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम (एफ टी टी/एफ ए टी) जैसे कई ऑफर उपलब्ध कराते हैं जो कि आधारभूत रूप से विभिन्न नामों के अधीन प्रोमोशनल योजनाएं है। यूनीफाईड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) अनुबंधों में प्रावधान है कि ऑपरेटर सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल रूप में दिखाएँगे तथा रियायत/छूट के ब्यौरे को अलग से दर्शाएँगे। यह देखा गया है कि पी एस पी द्वारा दिये गये प्रोमोशनों को राजस्व के रूप में नहीं लिया गया था।

एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरसेल एवं एस एस टी एल के बही खातों में ग्राहकों को दिए गए प्रोमोशनल फ्री एयर टाइम/फ्री टाक टाइम की राशि राजस्व शीर्ष के अंतर्गत नामे प्रविष्टि (डेबिट एंट्री) के रूप में लेखांकित की गई थी। परन्तु रिलांयस के लेखों से इस प्रकार की जानकारी का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि कम्पनी ने प्रोमेशनल फ्री एयर टाइम/फ्री टाक टाइम को वित्तीय प्रणाली एवं बही खातों में दर्शाए बिना ही बिलिंग चक्र से निकाल दिया है।

चूँकि यू ए एस एल अनुबंधों के अनुसार ऐसे प्रोमेशनल आफर व्यापार व्यय की प्रकृति के होते हैं भारत सरकार को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर हेतु इन प्रस्तावों को राजस्व के रूप में पहचाना जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने इस प्रकरण में जी आर/ए जी आर में ₹ 7049.61 करोड़ की कम आँकी गई राशि को निकाला, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 587.70 करोड़ एवं ₹ 370.00 करोड़ कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.1(ब), 3.2.1(ब), 4.2.1(ब), 6.2.2, 7.2.1)

(iii) पोस्ट पेड ग्राहकों को दी गई रियायत/वेवर को घटाकर जी आर/ए जी आर का कम दर्शाया जाना

यह पाया गया था कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एवं एयरसेल द्वारा पोस्ट पेड ग्राहकों को ट्राई को प्रस्तुत टैरिफ प्लान से ज्यादा दिया गया रियायत/वेवर, जो कि व्यापार व्यय की प्रकृति का था उनके लेखों में राजस्व से घटा दिया गया था। यह प्रथा लाइसेंस अनुबन्ध के विचलन में थी जिसमें यह बताया गया था कि राजस्व को सम्बन्धित खर्चे के घटाये बगैर दर्शाना है। इस विचलन के परिणामस्वरूप कम्पनियों ने जी आर/ए जी आर ₹ 417.60 करोड़ कम बताया जिसके फलस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 34.21 करोड़ एवं ₹ 17.20 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.2 एवं 4.2.2)

(iv) रोमिंग सेवाओं से संबंधित राजस्व से छूट को घटाकर जी आर/ए जी आर को कम बताया जाना

रोमिंग सेवाओं के लिए निजी सेवा प्रदाताओं की अन्य अर्न्तराष्ट्रीय आपरेटरों के साथ व्यवस्था है। यह देखा गया कि एयरटेल, वोडाफोन एवं आइडिया ने इन आपरेटरों के लेखा में भुगतान/जमा किए गए इन्टर आपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूट को रोमिंग राजस्व से निकाला/घटा दिया। अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था का होना दोनों आपरेटरों के बीच आपसी अनुबंध का मामला है तथा रोमिंग के लिए तय प्रभारों से ऊपर दी जा रही छूट दोनों आपरेटरों के बीच व्यापार को बढ़ाने वाली सम्पूर्ण व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है। इस प्रकार ये छूट व्यय की प्रकृति के हैं और इसलिये लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार इनकी राजस्व से कटौती अनुमत नहीं की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने इस पर राजस्व शेयर की गणना के लिये जी आर/ए जी आर में ₹ 889.85 करोड़ की कम दर्शायी गई राशि की गणना की, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 76.20 करोड़ एवं ₹ 48.19 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.3, 3.2.2, 4.2.3)

(v) अवसंरचना की भागीदारी से राजस्व को घटाकर (नेटिंग) जी आर/ए जी आर का कम बताया जाना

यू ए एस एल अनुबंधों में प्रावधान है कि जी आर में अवसंरचना की भागीदारी से प्राप्त राजस्व, व्यय की संबंधित मद को घटाये बिना शामिल होगा। निजी सेवा प्रदाताओं की अन्य निजी सेवा प्रदाताओं के साथ उनकी पैसिव अवसंरचना (पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर) की भागीदारी के लिए व्यवस्था है। लेखापरीक्षा ने

पाया कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एवं एयरसेल के मामले में अवसंरचना भागीदारी से प्राप्त राशि को पूर्ण रूप से राजस्व में नहीं लिया गया, इसके बदले इस राशि का कुछ हिस्सा व्यय में क्रेडिट किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व भागीदारी के उद्देश्य के लिये जी आर/ए जी आर की गणना के लिए अवसंरचना भागीदारी से प्राप्त राजस्व को कम बताया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा इस प्रकरण पर जी आर/ए जी आर में ₹ 1090.07 करोड़ की कम दर्शाई गई राशि की गणना की गई, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 87.17 करोड़ एवं ₹ 55.25 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.4, 3.2.3, 4.2.4, 6.2.3)

(vi) फोरेक्स लाभ का जी आर में कम/गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर का कम बताया जाना

जी आर की परिभाषा के संदर्भ में राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए फोरेक्स लाभ भी जी आर का घटक होना चाहिये। लेखापरीक्षा ने पाया कि निजी सेवा प्रदाताओं ने फोरेक्स लाभ को या तो पूर्णतः छोड़ दिया अथवा आंशिक रूप से राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर में शामिल किया। सभी पी एस पी के जी आर में फोरेक्स लाभ छोड़ने की राशि ₹ 2174.19 करोड़ आँकी गई, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 176.54 करोड़ एवं ₹ 78.15 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.5, 3.2.4, 4.2.7, 5.4.3, 6.2.4, 7.2.2)

(vii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्याज से आय को समाविष्ट नहीं करने के कारण जी आर/ए जी आर कम का बताया जाना

लाइसेंस अनुबंधों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ब्याज से प्राप्त आय को देय राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि निजी सेवा प्रदाताओं ने या तो जी आर/ए जी आर में ब्याज से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया अथवा ब्याज से प्राप्त आय को आंशिक रूप से शामिल किया जिससे देय राजस्व हिस्सेदारी का कम भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान पी एस पी द्वारा ₹ 10207.46 करोड़ कम राजस्व बताया गया, परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 880.19 करोड़ एवं ₹ 467.99 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.6, 3.2.5, 4.3.1, 5.4.1, 6.3.1, 7.3.1)

(viii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा निवेश की बिक्री से आय के गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम बताया जाना

लाइसेंस अनुबंधों में प्रावधान है कि निवेशों से प्राप्त आय को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि एयरटेल, आइडिया, एवं एयरसेल ने राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए निवेशों से प्राप्त आय को जी आर/ए जी आर में शामिल नही किया है। लेखापरीक्षा ने जी आर/ए जी आर में निवेशों से प्राप्त आय को समावेशन न

करने की राशि की गणना ₹ 5276.24 करोड़ की जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 424.27 करोड़ एवं ₹ 235.71 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.9, 4.3.2, 6.3.2)

(ix) अपनी सहायक कम्पनी के साथ एक व्यवस्था के द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आर सी एल) द्वारा राजस्व की साझेदारी के भुगतान को टालना

आर सी एल, एक यूनिफाइड एक्सेस सर्विस (यू ए एस) लाईसेंसी का, श्रेणी ''अ'' की आई एस पी लाइसेंसधारक उसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी रिलायंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर सी आई एल) के साथ अपने ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाओं (वी ए एस) को प्रदान करने तथा विपणन उत्पादों को बेचने हेतु एक अनुबन्ध था। आर सी एल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिये आर सी आई एल एक बिलिंग व संग्रहण अभिकर्ता भी था। आर सी एल ग्राहकों द्वारा ली गई इंटरनेट सेवाएँ जिसमें डोंगल सेवाएँ भी शामिल है, आर सी आई एल द्वारा अपने आई एस पी लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की गई थीं एवं आर सी एल द्वारा एक्सेस प्रदान किया गया। आर सी एल एवं आर सी आई एल के बीच अनुबंधों के अनुसार मूल्य वर्द्धित सेवाओं (वी ए एस), कालॅर रिंग बैंक ट्यून्स, आर सी एल उपभोक्ताओं द्वारा ली गई इंटरनेट सेवाएँ आदि जैसी सेवाओं से प्राप्त राजस्व को आर सी आई एल के लेखा बही में शामिल किया गया तथा कुल राजस्व का केवल एक भाग आर सी एल को दिया गया। इसके अतिरिक्त हैंडसेटों, सिम कार्डों के विक्रय से अर्जित राजस्व एवं ग्राहकों से प्राप्त इंस्टालेशन प्रभार को भी आर सी आई एल के लेखा में दर्ज किया गया, जबकि यह राजस्व आर सी एल की जी आर में शामिल किया जाना चाहिए था। इस प्रकार जो राजस्व यू ए एस लाइसेंस धारक का राजस्व होना चाहिये था वह आईएसपी लाइसेंस धारक के खातों में दर्ज था। चूँकि इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंसधारियों को नाम–मात्र की लाइसेंस फीस का भुगतान करना था, हमने देखा कि आर सी एल ने आर सी आई एल के साथ व्यवस्था से आर सी आई एल को राजस्व पास किया और राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान को बचाया। लेखापरीक्षा ने पाया कि आर सी एल ने अपनी सहायक कम्पनी (आर सी आई एल) के साथ ऐसी व्यवस्था के कारण ₹ 3050.10 करोड़ की राशि को अपनी जी आर/ए जी आर में कम बताया जिसका प्रभाव लाइसेंस फीस एवं एस यू सी के क्रमशः ₹ 247.51 करोड़ एवं ₹ 109.31 करोड़ के कम भुगतान के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ 5.2.1 (अ) से 5.2.1 (य))

(x) अचल सम्पत्तियों की बिक्री से लाभ और विविध राजस्व के गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम बताया जाना

लाइसेंस अनुबंध में राजस्व की परिभाषा बताती है कि जी आर में विविध राजस्व, व्यय की संबंधित मद इत्यादि को घटाये बिना शामिल होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि निजी सेवा प्रदाताओं ने स्थिर (फिक्स्ड) परिसम्पत्तियों के विक्रय पर विविध आय जैसे लाभ को जी आर में शामिल नही किया जिसके कारण जी आर कम बताया गया। कुल जी आर ₹ 2131.60 करोड़ कम बताया गया परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 172.94 करोड़ एवं ₹ 81.55 करोड़ कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.10, 2.2.11, 3.2.7, 3.2.8, 4.3.3, 4.3.4, 5.4.2, 6.3.3, 6.3.4, 7.3.1)

(xi) जी आर में लाभांश आय को शामिल न किया जाना

लाइसेंस अनुबंधों में प्रावधान है कि निजी सेवा प्रदाताओं की जी आर में लाभांश आय घटक को भी शामिल किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 में एयरटेल, वोडाफोन और एयरसेल द्वारा बताये गए जी आर में उपार्जित लाभांश आय को शामिल नही किया गया। इस प्रकार लाइसेंस अनुबंधों के विचलन के कारण उक्त पीएसपी का जीआर ₹ 4531.12 करोड़ कम बताया गया। इस चूक के कारण लाइसेंस फीस एंव एस यू सी का क्रमशः ₹ 367.98 करोड़ और ₹ 219.63 का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.8, 3.2.6, 7.3.1)

(xii) बट्टे खाते में डाले जाने वाली अप्राप्य ऋण राशि को कटौती के रूप में दावा करने से ए जी आर कम दिखाया जाना

लाइसेंस अनुबंध मे सेवा प्रदाताओं के ए जी आर को निकालने के लिए जी आर से कटौती के लिए केवल राजस्व के तीन मद ही अनुमत है। बट्टे खातें में शामिल अप्राप्य ऋणों को ए जी आर निकालने के लिए जी आर से कटौती दावा मान्य नहीं है। फिर भी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एवं एयरसेल ने ए जी आर निकालने के लिए जी आर से बट्टे खातें में शामिल अप्राप्य ऋणों की कटौती का दावा किया है। ऐसी कटौतियों की राशि ₹ 1984.65 करोड़ निकलती है जिससे लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 175.34 करोड़ एवं ₹ 105.12 करोड़, का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.12, 3.2.9, 4.4.1, 6.4.1)

(xiii) एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर का कम बताया जाना

यू ए एस एल अनुबंधों के संदर्भ में, बैंडविड्थ के विक्रय/लीज से प्राप्त राजस्व को एस यू सी की गणना करने के लिए ए जी आर में लेना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि एयरटेल एंव रिलांयस ने एस यू सी की गणना करने के लिए बैंडविड्थ के विक्रय/लीज से प्राप्त राजस्व को एस यू सी की गणना में शामिल नहीं किया, जबकि यह लाइसेंस फीस की गणना करने के लिए शामिल किया गया था। केवल वायरलेस सेवा उपलब्ध कराने वाले निजी सेवा प्रदाताओं ने हालाँकि इस प्रकार का अपवर्जन नहीं किया था। एस यू सी की गणना करने के लिए ए जी आर में शामिल नहीं की गई राजस्व की राशि ₹ 2671.02 करोड़ निकलती है तथा इससे एस यू सी का ₹ 131.44 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.13, 5.4.4, 7.3.2)

(xiv) लाइसेंस शर्तों का अनुपालन

दूरसंचार विभाग के साथ लाइसेंस अनुबंध के अनुसार लाइसेंस धारी ऑपरेटर के सकल राजस्व में राजस्व से सम्बन्धित व्यय के किसी भी समायोजन को प्रतिबधिंत करता है तथा राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के लिये लेखों को तैयार करने के मापदण्ड लाइसेंस अनुबंध में दिये गये हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षण में लिये गये सभी छः ऑपरेटरों ने लाइसेंस अनुबंधों की शर्तों का पालन नहीं किया है जिसके कारण सरकार के साथ राजस्व की साझेदारी के लिये जी आर की गणना कम बतायी गयी। यद्यपि जी आर की गणना लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं थी, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने हमेशा

प्रमाणित किया कि खाते लाइसेंस अनुबंधों के दिशा–निर्देशों/मानदंडों के अनुसार तैयार किये गये थे और कम्पनियों ने दूरसंचार विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें जी आर को लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप बताया। यू ए एस एल अनुबंध में जी आर की गणना के लिए विनिर्देशों से दूर इन ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत कथन केवल एक असावधान दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। दूरसंचार विभाग ने अपनी ओर से ऐसे कोई भी अग्रसक्रिय कदम नहीं उठाये हैं जिससे यह सुनिश्चत हो सके कि लाइसेंसधारियो ने अपना राजस्व लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार घोषित किया है।

5. लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान में आयी राजस्व की गैर वसूली का समेकित विवरण :

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार लाइसेंस फीस का कम/गैर भुगतान नीचे तालिका में दिया गया है :-

लेखापरीक्षा प्रेक्षण	एल एफ की गैर वसूली (₹ करोड़ में)					
	एयरटेल	वोडाफोन	आईडिया	रिलायंस	एयरसेल	एस एस टी एल
वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेंचाईजियों को भुगतान किए गए कमीशन/छूट इत्यादि की राशि से समायोजित (नेटेड ऑफ) राजस्व	462.01	351.77	285.95	155.10	125.31	14.75
राजस्व हिस्सेदारी के लिए ग्राहकों को दिये गये प्रमोशनल फ्री ऐयर टाइम को राजस्व के रूप में नहीं लिया गया	195.17		234.65	-		11.23
पोस्ट पेड ग्राहकों को प्रदत्त वेवर/छूट की राशि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	20.01	116.66*	14.20	-	29.99*	-
अन्य ऑपरेटरों को प्रदत्त छूट का रोमिंग राजस्व से समायोजन (नेटेड ऑफ)	40.32	24.92	10.96	-	-	-
समायोजित (नेटिड ऑफ) अवसंरचना भागीदारी राजस्व	19.75	27.75	34.92	-	4.75	-
फोरेक्स लाभ का गैर–समावेशन	42.65	13.55	21.30	60.37	38.12	0.55
ब्याज आय का कम/गैर– समावेशन	47.13	525.48	24.30	170.65	91.03	21.60
निवेश की बिक्री पर लाभ का गैर–समावेशन	368.95	-	48.02	-	7.3	-
आर सी एल द्वारा अपनी लेखा बही के स्थान पर सहायक कंपनी के लेखा में दर्ज राजस्व	-	-	-	247.51	-	-
विविध राजस्व एवं परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का गैर–समावेशन	35.09	54.49	2.78	75.89	4.5	0.19
लाभांश आय का गैर–समावेशन	181.67	186.31	-	-	-	-
दावा किए गए बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण के मद में अयोग्य कटौती	117.74	44.48	9.09	-	4.03	-
अन्य मुद्दे	46.63	-	22.75	-	164.95	-
कुल	**1577.12**	**1345.41**	**708.92**	**709.52**	**469.98**	**48.32**

* प्री–पेड एवं पोस्ट पेड ग्राहकों को दिये प्रोमोशनल फ्री एयर टाईम/वेवर/छूट की अलग–अलग गणना नहीं की जा सकी।

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार एस यू सी का कम/गैर भुगतान नीचे तालिका में दिया गया है:-

लेखापरीक्षा प्रेक्षण	एस यू सी की गैर वसूली (₹ करोड़ में)					
	एयरटेल	वोडाफोन	आईडिया	रिलायंस	एयरसेल	एस एस टी एल
वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेंचाईजियों को भुगतान किए गए कमीशन/छूट इत्यादि की राशि से समायोजित (नेटेड ऑफ) राजस्व	312.85	213.52	174.92	77.44	59.02	4.30
राजस्व हिस्सेदारी के लिए ग्राहकों को दिये गये प्रमोशनल फ्री ऐयर टाइम को राजस्व के रूप में नही लिया गया	133.33		147.44	-		3.34
पोस्ट पेड ग्राहकों को प्रदत्त वेवर/छूट की राशि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	8.39	70.95	8.81	-	14.94	-
अन्य ऑपरेटरों को प्रदत्त छूट को रोमिंग राजस्व से समायोजन (नेटेड ऑफ)	26.86	15.00	6.33	-	-	-
समायोजित (नेटिड ऑफ) अवसंरचना भागीदारी राजस्व	13.23	16.12	24.03	-	1.87	-
फोरेक्स लाभ का गैर–समावेशन	22.25	6.58	10.97	28.38	9.82	0.15
ब्याज आय का कम/गैर– समावेशन	25.50	307.67	13.19	75.72	40.37	5.54
निवेश की बिक्री पर लाभ का गैर–समावेशन	205.76	-	26.70	-	3.25	-
आर सी एल द्वारा अपनी लेखा बही के स्थान पर सहायक कंपनी के लेखा में दर्ज राजस्व	-	-	-	109.31	-	-
विविध राजस्व एवं परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का गैर–समावेशन	13.21	30.49	1.64	34.34	1.82	0.05
लाभांश आय का गैर–समावेशन	98.98	120.65	-	-	-	-
दावा किए गए बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण के कारण अयोग्य कटौती	72.20	26.56	6.21	-	0.15	-
एल एफ के लिये ए जी आर राजस्व में शामिल किया परन्तु एस यू सी के लिये नहीं	92.56	-	-	37.97	-	0.91
अन्य मुद्दे	0	-	7.13	-	69.63	-
कुल	**1025.12**	**807.54**	**427.37**	**363.16**	**200.87**	**14.29**

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च 2016 को लाइसेंस फीस, एस यू सी का कम/गैर भुगतान एवं उन पर देय ब्याज को नीचे तालिका में दिया गया है:-

	एल एफ, एस यू सी और ब्याज का कम/गैर–भुगतान (₹ करोड़ में)						
	भारती एयरटेल	**वोडाफोन**	**आईडिया**	**रियांलस**	**एयरसेल**	**एस एस टी एल**	**कुल**
लाइसेंस फीस (एल एफ)	1577.12	1345.41	708.92	709.52	469.98	48.32	4859.27
एस यू सी	1025.12	807.54	427.37	363.16	200.87	14.29	2838.35
कुल (लाइसेंस फीस + एस यू सी)	2602.24	2152.95	1136.29	1072.68	670.85	62.61	7697.62
ब्याज	1245.91	1178.84	657.88	839.09	555.80	54.10	4531.62
कुल (लाइसेंस फीस + एस यू सी + ब्याज	3848.15	3331.79	1794.17	1911.77	1226.65	116.71	12229.24

संक्षेप में, लेखापरीक्षा द्वारा छः निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) के अभिलेखों के सत्यापन ने दर्शाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 (एस एस टी एल को छोड़कर अन्य पाँच ऑपरेटरों के लिये अवधि 2006-07 से 2014-15 है) की अवधि के लिये ₹ 61064.56 करोड़ की राशि को ए जी आर में कम बताया गया एंव फलस्वरूप भारत सरकार को राजस्व हिस्सेदारी के ₹ 7697.62 करोड़ का कम भुगतान हुआ। कम भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी पर ब्याज मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹ 4531.62 करोड़ था।

6. लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर दूरसंचार विभाग एंव निजी सेवा प्रदाताओं की प्रतिक्रिया

राजस्व हिस्सेदारी पर छः चयनित पीएसपी के लेखापरीक्षा प्रेक्षण दूरसंचार विभाग को माह अगस्त/सितम्बर 2016 में भेजे गये तथा साथ ही प्रतिलिपि सम्बन्धित पीएसपी को पृष्ठांकित की गई। निजी सेवा प्रदाताओं ने अपने जवाब दूरसंचार विभाग को भेजे जिसकी प्रतिलिपियाँ लेखापरीक्षा को भी प्रस्तुत की गईं। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर मंत्रालय एवं निजी सेवा प्रदाताओं की प्रतिक्रिया क्रमशः फरवरी 2017 व सितम्बर 2016 में प्राप्त हुई। इस प्रतिवेदन में उसको उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।